

25
न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

डॉ० मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक २६१९-तीन/२०१५ विरुद्ध आदेश दिनांक ३०-५-२०१४ - पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी - प्र०क० १२६/१३-१४ स्वमेव निगरानी

जगराम पुत्र बादल सिंह
ग्राम मझारी तहसील टप्पा
बदरवास परगना कोलारस
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

---आवेदक

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री सी०एम०गुप्ता)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी०के०शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक ०७ नवंबर २०१५ को पारित)

अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक १२६/२०१३-१४ स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक ३०-५-१४ के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारोँश यह है कि भूदान बोर्ड से पट्टे पर प्राप्त भूमियों की सक्षम अनुमति बिना विक्रय वावत् जांच हेतु गठित समिति की छानवीन में पाया गया कि ग्राम मझारी स्थित भूमि स. क. ४७ रकबा ०.४९ है. को भूदान पट्टाग्रहीता भंवरीवाई, संग्रामसिंह, रामवती ने कलेक्टर की अनुमति लिये बिना विक्रय कर दिया है जो खसरे में जगराम पुत्र बादलसिंह नंदवंशी के नाम दर्ज पाई गई। अधीक्षक भू अभिलेख, शिवपुरी से उक्त आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर शिवपुरी ने जगराम पुत्र बादलसिंह के विरुद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक १२६/१३-१४ पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक ३०-५-२०१५ पारित किया तथा भूदान भूमि के पट्टाग्रहीता द्वारा कलेक्टर से अनुमति लिये बिना भूमि विक्रय कर देने के कारण

30/11/2015
[Signature]

अंतरण के अवैध होने से इस अंतरण के बाद हुये अंतरणों को भी निरस्त कर दिया तथा भूमि शासकीय दर्जे करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी की ग्राह्यता पर तथा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-5-14 के विरुद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में दिनांक 14-8-15 को प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में प्रावधान है कि संहिता की धारा 165 के के अधीन कलेक्टर/अपर कलेक्टर द्वारा पारित मूल आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को होगी एंव आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष की जायेगी। आवेदक की ओर से निगरानी को अपील में सुने जाने हेतु न तो बहस के दौरान मांग रखी गई है और न ही तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अग्राह्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। परिणामतः अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 126/ 2013-14 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-5-14 यथावत् रहता है।

(डॉ. ओम प्रकाश खरे)

सदस्य
राजस्व मण्डल,
मोप्र० ग्वालियर